[18/3/2016]

परिशिष्ट(35)

विधान सभा अता. प्र.क्र. 6346

इस संबंध में ... से जानकारी चाहें। ... 19/3/16

मध्यप्रदेश शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय

भोपाल, दिनांक: 9/जून/1999.

क्रमांकएफ4/313/99/18-1

प्रति,

समस्त मुख्यनगरपालिका अधिकारी,
नगरपालिका/नगरपंचायत,
मध्यप्रदेश

विषय : नगरपालिका/नगरपंचायतों के कर्मचारियों के स्थानान्तरित पदों पर पदोन्नति
एवं नियुक्ति के संबंध में।

शासन के ध्यान में यह लाया गया है कि विभिन्न नगरपालिकाओं/
नगरपंचायतों के कर्मचारियों अर्थात् नगरपालिका सेवा के सदस्यों का स्थानान्तर
जब उनके मूल निकाय (वह निकाय जिसमें उनकी प्रथम नियुक्ति चयन के पश्चात् हुई
है) से अन्य स्थानीय निकाय में किया जाता है तो मूल निकाय में जब पदोन्नतियां
की जाती है, तो ऐसे स्थानान्तरित कर्मचारी को पदोन्नति के लिए विचारण में नहीं
लिया जाता है। इसका तर्क यह दिया जाता है कि वह कर्मचारी अब उस मूल निकाय
में पदस्थ नहीं है। दूसरी ओर जब ऐसा स्थानान्तरित कर्मचारी नये निकाय में
पहुंचता है तो इस नये स्थानीय निकाय में जब पदोन्नतियां होती है तो उस स्था-
नांतरित कर्मचारी का नाम भी पदोन्नति हेतु विचारण में लिया जाता है। यह
(अधिनियम) नियमों के नितांत विपरीत है। इस प्रक्रिया के कारण यह देखा गया है
कि कई बार पात्र कर्मचारी पदोन्नतियों से वंचित रह जाते हैं।

2/ अतः निर्देश दिये जाते हैं कि जिस स्थानीय निकाय में नगरपालिका सेवा
का कोई कर्मचारी मूल रूप से नियुक्त किया गया हो उसी निकाय में उसके संवर्ग
की पदक्रम सूची में उसका नाम अंकित रहेगा और यदि ऐसा कर्मचारी जब मूलनिकाय
से स्थानान्तरित होकर अन्य स्थानीय निकाय में जाता है तो मूल निकाय की पद-
क्रम सूची से उसका नाम विलोपित नहीं किया जायेगा। जब भी कभी मूल निकाय
में पदोन्नतियां की जाना हो तो स्थानान्तरित होकर बाहर गये ऐसे कर्मचारी का
नाम भी विचारण में लिया जायेगा और यदि वह पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाया
जाता है तो उसे इस तथ्य के होते हुये भी वह तत्समय मूल निकाय में पदस्थ नहीं है

अनुभाग अधिकारी

प्रोफार्म पदोन्नति दी जायेगी उसे पदोन्नति से इस आधार पर वंचित नहीं किया जायेगा कि उसकी सेवायें मूल निकाय में तत्समय उपलब्ध नहीं हैं।

3/ उपरोक्त का स्वाभाविक परिणाम (Corollary) यह होगा कि जब नये निकाय में पदोन्नति होगी तो इस स्थानांतर पर आये हुये कर्मचारी का नाम पदोन्नति हेतु विचार में नहीं लिया जायेगा अर्थात् इस स्थानांतर पर आये हुये कर्मचारी के कारण निकाय के मूल कर्मचारियों की पदोन्नति पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

4/ अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त दिये गये निर्देशों के प्रकाश में स्थानान्तरित कर्मचारियों की पदोन्नति के संबंध में कार्यवाही की जाए।

5/ यह भी देखने में आया है कि मूल निकाय में पदस्थ किसी कर्मचारी का जब स्थानान्तर हो जाता है तो रिक्त पद के विरुद्ध निकाय द्वारा नई नियुक्ति यह मानकर कर दी जाती है कि पद रिक्त है। यह सर्वथा अनियमित है। स्थानांतर के कारण रिक्त हुये पद की पूर्ति नई नियुक्ति से नहीं की जा सकती, क्योंकि स्थानान्तरित कर्मचारी का लियन मूल निकाय में बना रहता है। अतः यह ध्यान रखा जाये कि इस तरह की कोई नियुक्ति न की जाए और यदि इस तरह की कोई नियुक्ति की जायेगी तो उसके लिये संबंधित निकाय के मुख्य नगरपालिका अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी माना जायेगा। शासन के पास रिक्त पदों की पूर्ति के लिये प्रकरण भेजते समय यह स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये कि रिक्त पद जिस पर नियुक्ति की जाना है स्थानान्तर के कारण रिक्त नहीं हुआ है।

(हस्ताक्षर) 9-6-99

(आर० एन० वर्मा)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग.
भोपाल, दिनांक 9/जून/1999.

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

पृ.क्र. एफ-4/313/99/18-1

प्रतिलिपि:-
1. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र.भोपाल,
2. समस्त उपसंचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(हस्ताक्षर) 9-6-99

अवर सचिव,
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग.